

प्रेस नोट थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर दिनांक 03-10-2020

पशु तस्कर गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी(ग्रामीण) श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय गोला श्री श्यामदेव के दिशानिर्देशन मे थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना परग्राम मलौली के बाहर रतनपुर रोड पर सुनसान स्थान पर एक पिकप में कुछ लोग छुट्टा गौ वंशीय जानवर गौकसी के लिए लाद रहे थे।मौके से चार नफर अभियुक्तगण कोआवश्यक पुलिस बल प्रयोग कर गिरफ्तार किया गया है तथा तीन राशि छुट्टा गौवंशीय बरामद हुए व पिकप के चालक द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान मारने की नियत से चढ़ाने का प्रयास किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 561/2020 धारा 307 भादवि व 3 /5A/8 गौ वध निवारण अधि0 व 11/12 पशु क्रूरता का निवारण अधि0 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान व बरामदगी-

ग्राम मलौली ,रतनपुर रोड समय रात्रि 03.00 बजे
एक अदद पिकप बिना नं0
तीन राशि छुट्टा गौवंशीय बछड़ा/साड

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- 1.अंगद मौर्या पुत्र जामवन्त मौर्या निवासी चौरिया थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- 2.गोविन्द दाडी पुत्र किशोर दाडी निवासी अहिरौली थाना गोला जनपद गोरखपुर
- 3.गोलू यादव पुत्र गुलाब यादव निवासी रतनपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर
- 4.अनूप यादव पुत्र रामकेश यादव निवासी पैसा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0- 561/2020 धारा 307भादवि व 3/5 A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11/12 पशु क्रूरता अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- (1) उ0नि0श्री अनूप सिंह - थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
- (2) उ0नि0 श्री अजीत यादव- थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
- (3) का0 प्रतीक यादव- थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
- (4) का0 बलवीर सिंह- थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
- (5) का0 रामप्रकाश बिन्द -थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
- (6) का0 विजय नाग - थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर